

**Statement of Immovable Property for year \_\_\_\_\_ (as on 01.01. \_\_\_\_\_ )**

**Service :** \_\_\_\_\_

**Name of officer (in full):** \_\_\_\_\_

**Designation** \_\_\_\_\_

**Ministry/Department** \_\_\_\_\_

**Date of Birth :** \_\_\_\_\_ **Present Pay: Basic** \_\_\_\_\_ **Grade Pay** \_\_\_\_\_

Name of district Sub-Division , Taluk and village in which property is situated	Name and details of property- housing, lands and other buildings	Cost of Construction/ acquirement including land in case of house and year when purchased	*Present value	If not in own name state in whose name held and his/her relationship to the government Servant	How acquired- whether by purchase, lease**, mortgage, inheritance gift or otherwise with date of acquisition and name with details of persons from whom acquired	Annual income from the property	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

**Signature** \_\_\_\_\_

**Division/Section** \_\_\_\_\_

**Date** \_\_\_\_\_

**Intercom** \_\_\_\_\_

**NOTES:**

- \* In case where it is not possible to assess the value accurately the approximate value in relation to present conditions may be indicated.
- \*\* Includes short-term lease also.
- The declaration form is required to be filled and submitted by every member of ClassII (Group A and Group B) services under rule 15(3) of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1955 [now rule 18(1) of the CCS (Conduct) Rules, 1964] on the first appointment to the service and thereafter at the interval of every twelve months, giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any members of his family or in the name of any other person dependent on government servant.
- The wording "no change" or "as in the previous year" should be avoided and full details provided.

दिनांक 01. 01. \_\_\_\_\_ को वर्ष \_\_\_\_\_ के लिए अचल संपत्ति का विवरण

सेवा : \_\_\_\_\_

अधिकारी का नाम : ( पूरा नाम ) \_\_\_\_\_ पदनाम \_\_\_\_\_

मंत्रालय / विभाग \_\_\_\_\_

जन्म तिथी : \_\_\_\_\_ वर्तमान वेतन: मूल \_\_\_\_\_ ग्रेड पे \_\_\_\_\_

जिला, सब डिवीजन, ताल्लुख और गाँव का नाम जहाँ सम्पत्ति अवस्थित है	सम्पत्ति, आवासीय भूमि और अन्य भवनों आदि का नाम व ब्यौरा	निर्माण / अधिग्रहण करने की लागत जिसमें मकान के मामले में भूमि शामिल है और जिस वर्ष में खरीदा गया	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर नहीं हो तो उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसके स्वामित्व में है और उसका सरकारी सेवक से संबंध	कैसे अर्जित की गई (क्या क्रय द्वारा, गिरवी, पट्टे पर, उत्तराधिकार के उपहार स्वरूप अथवा अन्यथा प्राप्त है सहित अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई है उस व्यक्ति का नाम औ ब्यौरा)	सम्पत्ति से प्राप्त कुल वार्षिक आय	अभ्युक्तियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

हस्ताक्षर.....  
 प्रभाग / अनुभाग.....  
 दिनांक.....  
 इंटरकाम.....

नोट:-

- यदि किसी मामले में मूल्य का स्टीक आकलन करना संभव नहीं हो तो वर्तमान शर्तों के संदर्भ में अनुमानित मूल्य दर्शाया जाए।
- अल्वाधिक पट्टा भी शामिल है।
- केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम 1955 के नियम 15 (3) (अब सीसीएस (आचरण) नियम 1964 के नियम 18 (1) के अंतर्गत श्रेणी 11 ('क' एवं 'ख') के प्रत्येक सदस्य द्वारा सेवा की प्रथम नियुक्ति पर और तत्पश्चात प्रत्येक बारह महीनों के अन्तराल पर स्वयं के नाम पर अथवा सरकारी सेवा पर आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर स्वामित्व वाली, अर्जित और उत्तराधिकार में प्राप्त अथवा लीज अथवा गिरवी की गई सभी अचल सम्पत्तियों का ब्यौरा इस घोषणा पत्र में भरा जाना अपेक्षित है।
- कोई परिवर्तन "नहीं" अथवा "जैसा पिछले वर्ष में था" शब्दों का प्रयोग न किया जाए और पूर्ण ब्यौरा दिया जाए।